

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-350/मु०मं०नि०यो०-19-04/2016(पार्ट-3)/201/पं०रा० पटना, दिनांक-29/7/202

पंचायती राज विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सत क्रियाशीलता एवं समयबद्ध पेयजलापूर्ति व्यवस्था से संबंधित C.G.R.C. पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों ए उनके निराकरण के कार्य का अनुश्रवण S.P.R.C. के माध्यम से की जा रही थी।

साथ ही सतत् जलापूर्ति व्यवस्था के Real Time Monitoring हेतु I.O.T Device के माध्यम अनुश्रवण की व्यवस्था सुस्थापित की गयी है। जिसका अनुश्रवण विभागीय अनुश्रवण कोषांग ए तकनीकी कोषांग के माध्यम से प्रभावी है।

2. केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ C.G.R.C. पोर्टल प प्राप्त शिकायतों के निराकरण/निष्पादन तथा I.O.T. Device के माध्यम से संसूचित अक्रियाशील "हर घ नल का जल" योजना से संबंधित सूचनाओं के त्वरित निराकरण हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायकों के माध्यम से ससमय निष्पादन कराया जाना आवश्यक है।

3. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में विभागीय कार्यों के केन्द्रीयकृत रूप में विभागीय स्तर से निष्पादन हेतु (i) श्रीमती शाहीना बानो, Data Analyst, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना एवं (ii) श्री प्रभात रंजन प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM), S.P.R.C. बिस्कोमान भवन, पटना को प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किये जाता है।

4. श्रीमती शाहीना बानो, Data Analyst, एवं श्री प्रभात रंजन, BPM, S.P.R.C. का यह दायित्व होगा कि वे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत स्थापित नियंत्रण कक्ष से C.G.R.C. पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं I.O.T. Device द्वारा ज्ञात अक्रियाशील पेयजलापूर्ति योजना के संबंध में समीक्षा करते हुए संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को संसूचित करते हुए तकनीकी सहायकों के माध्यम से शिकायतों का निराकरण/निष्पादन ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे एवं तदनुरूप प्राप्त शिकायतों पर विभागीय अनुश्रवण/तकनीकी कोषांग के माध्यम से तकनीकी सहायकों द्वारा किये गये निराकरण से संबंधित प्रतिवेदन को संकलित कर प्रतिदिन निदेशक, पंचायती राज विभाग एवं प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग के समक्ष उपस्थापन सुनिश्चित करेंगे।

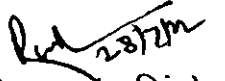
5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

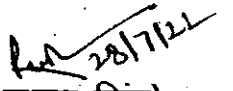
(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

क०पृ०उ०...

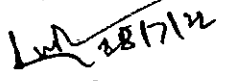
ज्ञापांक-3प०/मु०म०नि०यो०-19-04/2016(पार्ट-3)/7298/पं०रा० पटना,दिनांक-29/7/2021
प्रतिलिपि-श्रीमति शाहीना बानो, Data Analyst पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना एवं श्री प्रभात रंजन, B
P M, S.P.R.C., बिस्कोमान भवन, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक-3प०/मु०म०नि०यो०-19-04/2016(पार्ट-3)/7298/पं०रा० पटना,दिनांक-29/7/2021
प्रतिलिपि-परियोजना निदेशक, S.P.R.C., बिस्कोमान भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक-3प०/मु०म०नि०यो०-19-04/2016(पार्ट-3)/7298/पं०रा० पटना,दिनांक-29/7/2021
प्रतिलिपि-सभी प्रभारी पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक